

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉंची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०), जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉंची।

रॉंची, दिनांक 23-12-15

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	401.980

कुल आवंटित राशि -

रुपये चार करोड़ एक लाख अठानबे हजार मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के संशोधित बजट उपबंध तथा वित्त विभाग के पत्रांक 531 /बजट, दिनांक 04.09.15 द्वारा प्रथम अनुपूरक बजट के माध्यम से प्राप्त राशी यथा कुल राशी ₹ 6881.29 लाख (अठसठ करोड़ एकासी लाख उनतीस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681 दि० 10.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
10. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
11. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2016 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।
अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

160

रॉची, दिनांक :-

23-12-15

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/ बोकारो /देवघर/चाईबासा/गढ़वा/ पलामु/जमशेदपुर/ गिरीडीह सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(सुखदेव सिंह)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

160

रॉची, दिनांक :-

23-12-15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(श्वेता कुमारी)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

भाग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक

पत्रांक 160 दिनांक 22-12-15 का अनुदानक

परिशिष्ट I

लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष-06-खोटानागपुर एवं संचाल पराना सिंचाई परियोजना

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2015-2016	विरुद्ध शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विरुद्ध शीर्ष-02-यात्रा व्यय										विरुद्ध शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विरुद्ध शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विरुद्ध शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रुपये में	अभियुक्ति
		वेतन	एलाबरी	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	किराया,दफ्तर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं भ्रमण	विविध प्रभार	कुल योग																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16															
1	मुख्य अभियंता जलसंसाधन विभाग, हजारीबाग	विपद कोड	49N270103001 060101	49N2701030 0106012	49N270103001 1060213	49N2701030 010601315	49N2701030 010601316	49N2701030 01060323	49N2701030 01060333	49N2701030 1060334	49N2701030 01060337	49N2701030 01060442	49N27010300 1060760																	
		पूर्व का आवंटन	52.780	0.000	0.800	0.700	0.000	0.500	0.250	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	56.030															
2	औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.600																
		कुल आवंटन	52.780	0.000	0.800	0.700	0.000	0.500	0.250	0.000	0.000	0.000	1.600	0.000	56.630															
3	जलपथ अंचल, गढ़वा	पूर्व का आवंटन	62.000	0.000	0.200	0.250	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	62.800																
		अतिरिक्त आवंटन	17.100	0.200	0.400	0.200	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	18.400															
4	अग्रिम योजना प्र०, पलामू	अद्यतन आवंटन	79.100	0.200	0.600	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.600	0.000	81.200																
		अतिरिक्त आवंटन	42.000	0.000	0.840	0.600	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.800	0.000	44.290															
5	कोनार नहर प्रमंडल, बनासो	अतिरिक्त आवंटन	26.960	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	27.460																
		अद्यतन आवंटन	68.960	0.000	0.840	0.600	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.000	1.100	0.000	71.750															
6	गुण नियंत्रण प्रमंडल, मेदिनीनगर	पूर्व का आवंटन	50.000	0.000	0.600	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.700	0.000	51.550																
		अतिरिक्त आवंटन	21.270	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	22.070															
7	जलपथ प्रमंडल, राँची	अद्यतन आवंटन	71.270	0.000	1.000	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	1.000	0.000	73.620																
		अतिरिक्त आवंटन	108.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	108.450																
		अतिरिक्त आवंटन	38.000	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	38.700																
		अद्यतन आवंटन	146.000	0.000	0.600	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.000	0.100	0.000	147.150																
		अतिरिक्त आवंटन	78.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	78.700																
		अद्यतन आवंटन	27.710	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	28.510																
		अतिरिक्त आवंटन	105.710	0.000	0.600	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.300	0.100	107.210																
		अद्यतन आवंटन	280.000	0.000	0.200	0.500	0.000	0.250	0.100	0.000	0.250	0.000	0.200	281.500																
		अतिरिक्त आवंटन	100.380	0.200	0.000	0.100	0.000	0.150	0.000	0.000	0.200	0.000	0.100	101.130																
		अद्यतन आवंटन	380.380	0.200	0.200	0.600	0.400	0.100	0.000	0.450	0.000	0.300	0.300	382.630																

(स्थेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2015-2016	विरपुल शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय												विरपुल शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां	विरपुल शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
		विरपुल शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तें	विरपुल शीर्ष-02-यात्रा व्यय	व्यय	व्यय	किराया, दरूँ, कर	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विरपुल व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मत	विरपुल शीर्ष-07-अन्य व्यय	कुल योग			अभिवृत्ति	
1	2	विपत्र कोड	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
8	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर, पाटन	पूर्व का आवंटन	49N270103001 0680101	49N2701030 010680112	49N27010300 10680213	49N2701030 010680315	49N2701030 010680316	49N2701030 010680323	49N2701030 010680333	49N27010300 10680334	49N2701030 010680357	49N2701030 010680442	49N27010300 10680760	52.400			
		अतिरिक्त आवंटन			10.000	0.000	0.400	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	10.850		
		अद्यतन आवंटन			61.000	0.000	1.000	0.350	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.750	0.000	63.250	
9	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन			206.000	0.000	0.550	0.450	2.510	0.300	0.100	0.000	0.650	0.200	210.760		
		अतिरिक्त आवंटन			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.600		
		अद्यतन आवंटन			206.000	0.000	0.550	0.450	2.510	0.300	0.100	0.000	1.250	0.200	211.360		
10	पुनर्वास पदा० उ० कोयल परियोजना, मदिनीनगर	पूर्व का आवंटन			37.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	37.450		
		अतिरिक्त आवंटन			19.000	0.000	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	0.100	0.300	0.100	19.850		
		अद्यतन आवंटन			56.000	0.000	0.400	0.350	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	0.300	0.100	57.300	
11	वित्त पदा०, स्वपरिखा परि०, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन			92.600	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	92.800		
		अतिरिक्त आवंटन			52.910	0.000	0.400	0.100	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	53.510		
		अद्यतन आवंटन			145.510	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	146.310		
12	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मंडल, (लातेहार) शिविर मदिनीनगर	पूर्व का आवंटन			90.000	0.000	0.600	0.450	0.000	0.250	0.050	0.000	0.700	0.100	92.150		
		अतिरिक्त आवंटन			80.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	80.300		
		कुल आवंटन			170.000	0.000	0.600	0.450	0.000	0.450	0.050	0.000	0.800	0.100	172.450		
अतिरिक्त आवंटन का योग			393.330	0.400	2.600	0.850	0.000	0.800	0.100	0.000	0.700	2.800	0.400	401.980			

नोट:- वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-39/बजट दि० 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिम्बीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये चार करोड़ एक लाख अठानवे हजार मात्र

(श्वेता कुमारी)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

160
93-12-15